

~~प्रति~~

प्रो. चार्च

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पोसरिया
जिला - कुशीनगर (द.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता " रसायन शास्त्र " विषय हेतु
पदभार गृहण करने वाला

महोदय,
आपका पत्र क्र. 346 दिनांक 19/09/2019 द्वारा
मुझे अतिथि व्याख्याता पद पर अध्यापन कार्य हेतु
आपके महाविद्यालय से आमंत्रण प्राप्त हुआ है।
अतः आज दिनांक 19/09/2019 को पूर्वनिर्दिष्ट को
अपने कार्य में उपस्थित हो गई हूँ।

Chandani Thakur

दिनांक

19/09/2019

नाम -> चाँदनी सोलंकी
पति -> पुष्पराम सिंह सोलंकी

पता -> भगत सिंह चौक
वार्ड नं. - 19 डोंगरगढ़
तहसील - डोंगरगढ़
जिला - रामनांदगाव
(द.ग.)

अतिथि व्याख्याता

" रसायन शास्त्र "

20.9.2019

क्रमांक / 346 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 19/9/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्रीमती चोंदनी सोलंकी
W/o श्री पुष्पराज सिंह सोलंकी
भगत चौक वाई.क. 19
डोंगेशगढ़, जिला शालनांदगांव

विषय :- विषय-रसायन शास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में अतिथि व्याख्याता विषय रसायन शास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।


(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

रुक प्रति प्राप्त हुई

Chandani Thakur
19/09/2019

क्रमांक 1344 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 18/9/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री विवर्क सिन्हा
वाई.क. 18 बुधवार बाजार
बैंक, शिवधाम कोडिया धर्मधर दुर्गा

विषय :- विषय- वा.वि.व्य. अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में अतिथि व्याख्याता विषय वा.वि.व्य. के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक ~~22.09.19~~ तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।
2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

Shikha
उप प्रति प्राप्त किया।



(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

प्रति

मुख्यलिपि प्रचार्य
इंदिरा गांधी शान्तीय महाविद्यालय वंडरिया

विषय - कार्यभार ग्रहण करने हेतु नोबत

महोदय जी मैं विव्की सिन्हा 310 जी नालराय
सिन्हा मेरी विधुकी वार्षिक संकाय मे अग्रिथि माख्याता
के रूप मे हुई हूँ। दिनांक 18/09/2019 को कार्यभार ग्रहण
किया हूँ।-

अतः मुझे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति
प्रदान करें।

दिनांक

18/09/2019

Seena

AW

19.09.2019

धन्यवाद Vinay

प्राथमिक विव्की सिन्हा

अग्रिथि माख्याता

वार्षिक संकाय

Vinay

क्रमांक/335/अ.व्या/ 2019

पण्डरिया, दिनांक 17/9/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

अपके वैभव
शंकर गार्ड पटवापाश
मुंगेरी, जिला मुंगेरी

विषय :- विषय- हिन्दी अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

--00--

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में अतिथि व्याख्याता विषय हिन्दी के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 21-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

Prish

Prish

(डॉ. ए. सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

प्रति,

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया
जिला - कबीरधाम (द.प्र.)

विषय - अतिथि व्याख्याता "हिन्दी" विषय हेतु पदभार
ग्रहण करने बाबत
सहोदय,

आपका पत्र क्रमांक 335 दिनांक 17/09/2019
द्वारा मुझे अतिथि व्याख्याता पद पर अध्यापन कार्य हेतु
आपके महाविद्यालय से आमंत्रण प्राप्त हुआ।

अतः आज दिनांक 17/09/2019 को इच्छित को
अपने कार्य में उपस्थित हो गई हूँ।

दिनांक

17/09/2019

Rishi
अतिथि

नाम - पिंकी वैष्णव

पति - मयंक वैष्णव

पता - शंकर वार्ड पटना पास
मुंगेली, जिला - मुंगेली
(द.प्र.)

अतिथि व्याख्याता
"हिन्दी"

Seen
17.9.2019

प्रति,

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय मद्यविद्यालय
पठरिया, जिला कबीरधाम

विषय - कार्यभार ग्रहण करने बाबत

संदर्भ - पत्र क्र. 1337 / अ. व्या. / 2019, पठरिया, दिनांक 18/09/19

महोदय

'उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा वनस्पतिशास्त्र विषय में अतिथि व्याख्याता के रूप में की गई है जिसके परिपालन में मैं आज दिनांक 18/09/19, पूर्वाह्न को अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ।

अतः महोदय से निवेदन है

कि मेरी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यभार प्रदान करने की कृपा करें।
धन्यवाद

दिनांक

18/09/19

भवदीय
18/09/19

भवदीय

नाम - दीपक कुमार सौनी

ग्रा.पो. कुनकुरी

जिला - जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 337 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 18/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री दीपक कुमार सोनी
शा. प्रो. कुलकुली
जिला जसपुर (छ.ग.)

विषय :- विषय- वनस्पति शास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय वनस्पति शास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

Received
[Signature]

[Signature]

(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

प्रति,

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पठरिया, जिला कबीरधाम

विषय - कार्यभार ग्रहण करने बाबत

सन्दर्भ - पत्र क्र. 1337 / अ. व्या. / 2019, पठरिया, दिनांक 18/09/19

महोदय

'उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा वनस्पतिशास्त्र विषय में अतिथि व्याख्याता के रूप में की गई है जिसके परिपालन में मैं आज दिनांक 18/09/19, पूर्वाह्न को अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यभार प्रदान करने की कृपा करें।
धन्यवाद

दिनांक
18/09/19

18/09/2019

भवदीय
नाम - दीपक कुमार सोनी
ग्रा.पो. कुनकुरी
जिला. जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 338 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 18/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री अक्षय कुमार ठोंडे
शा. इ.दा., सि.दा. - 03
जिला दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- विषय- प्राणीशास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय प्राणीशास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।


महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शारान के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

Receipt
Sawada
18/9/19


(डॉ. ए.सी. वर्मा)
प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

अति

प्राचार्य
इंदिरा गांधी शा. महाविद्यालय
वण्डरिया, जिला - वण्डरिया

विषय - कार्यभार ग्रहण करने बाबत

संदर्भ - पत्र क्र. 1338/अ. व्या. 12019 वण्डरिया दिनांक-18/09/19

महोदय

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्राणीशास्त्र विषय में अतिथि व्याख्याता के रूप में की गई है जिसे परिचालन में मैं आज दिनांक 18/09/2019 पूर्वाह्न को मैं अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें

धन्यवाद

Sourda

भवदीय

दिनांक
18/09/2019

नाम - सत्यम
पता - गा. उम्दा भिलाई-3
जिला - दुर्ग छ.ग.
पद - अतिथि व्याख्याता
(प्राणीशास्त्र)

सत्यम
18/09/2019

प्रति,

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया

जिला - कुशीरधाम (छ.ग.)

विषय : अतिथि व्याख्याता "अर्थशास्त्र" विषय हेतु पदभार
ग्रहण करने बाबत

महोदय,

आपका पत्र क्रमांक 339/अ.व्या/2019 पण्डरिया दिनांक 18/09/2019
कारा मुझे अतिथि व्याख्याता पद पर अध्यापन कार्य हेतु आपसे
महाविद्यालय से आमंत्रण प्राप्त हुआ।

अतः आप दिनांक 18/09/2019 को पूर्वान्ति को
अपने कार्य में उपस्थित हो गई हूँ।

दिनांक

18/09/2019

~~M. Devangan~~
भवदीय

कु. मधु देवांगन D/o श्री हेमराय देवांगन
विनोबा भावेवाडी रामायण चौक खरीपारा
मुंगेली, जिला - मुंगेली (छ.ग.) 495334

Seen

Aut

18.9.2019

अतिथि व्याख्याता

"अर्थशास्त्र"

क्रमांक / 339 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 18 / 09 / 2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

कृ. मधु देवगान
विनोबा भावे वाई.
श्वरीपारा मुंगेली

विषय :- विषय- अ.शारदा अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

--00--

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय अ.शारदा के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।


अतः आप दिनांक 23.09.19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव रामाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।


नोट- 1. शेष शर्तें शारान के आदेशानुसार रहेंगे।
2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।


(डॉ. ए.सी. वर्मा)
प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

श्री,

प्राचार्य,

इंदिरागांधी शां महाविद्यालय पंजरिया
जिला कबीरवाह (छ.ग.)



विषय :- अतिथि व्याख्याता (भौतिकशास्त्र)
पुनः नियुक्त करने के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. न्यायादेश WPS No. 2960 of 2019
 2. शासनोदेश क्र. 1446/243 / आयुक्त / भ. व्या. /
2019 पता रायपुर मल्हनगर दिनांक 02/08/2019

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के न्यायादेश पर
रिह पीटीशन संख्या WPS No 2960 of 2019 के अनुसार
मेरी नियुक्ति यथावत रखी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप दिनांक
के उक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में कार्यभार
प्रदान करते हुए भव्यापन कार्य की अनुमति देने का कष्ट
करें।

सहान्यवाद

Suman
05/09/19
प्राधी (भ. व्या.)

नाम - सुमन साहू

विषय - भौतिकशास्त्र

पता :- ग्रा./पो. दारगांव
तह. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मो.नं. - 9691232715

Recd Date 05/9/2019
05/9/19

[Signature]
5.9.19

प्रति,

प्राचार्य,

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पंडरिया

जिला - कबीरधाम (छ. ग.)



विषय :- कर्तव्य स्थल में उपस्थिति बाबत।

संदर्भ :- 01. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत याचिका क्रमांक /WPS/7525/2017 दुर्गा शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के अंतर्गत वर्णित सरल क. 97 के अनुसार।

02. क्रमांक 1446/243/ आ. उ. शि./अ./व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 में दिये गये आदेशों का अवलोकन करने की कृपा कीजिये।

निवेदन है कि उपरोक्त माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के पालन में मैं आज दिनांक 04.09.2019 को अतिथि व्याख्याता हिन्दी () के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हूँ। तथा आज दिनांक 04.09.2019 को मैं अपने पूर्ववर्ती कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो चुकी हूँ।

अतएव निवेदन है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुझे कार्यभार ग्रहण कराने की कृपा करें।

सादर!

दिनांक 04.09.2019

संलग्न :- उपरोक्त

Jayasharma
भवदीय

(जया शर्मा)

D/o Rammohan Sharma,
Near Hanuman mandir Kowaraha
Dist. Kabirdham, C.B.

04.09.2019
[Signature]


[Signature]
04.09.2019

प्रति,

प्राचार्य,

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पंडरिया

जिला - कबीरधाम (छ.ग.)



विषय :- कर्तव्य स्थल में उपस्थिति बाबत।

संदर्भ :- 01. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत याचिका क्रमांक /WPS/7525/2017 दुर्गा शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के अंतर्गत वर्णित सरल क. 182 के अनुसार।

02. क्रमांक 1446/243/ आ. उ. शि./अ./व्या./2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.08.2019।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र क. 01 एवं 02 में दिये गये आदेशों का अवलोकन करने की कृपा कीजिये।

निवेदन है कि उपरोक्त माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के पालन में मैं आज दिनांक 04.09.2019 को अतिथि व्याख्याता (प्राणीशास्त्र) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हू। तथा आज दिनांक 04.09.2019को मैं अपने पूर्ववर्ती कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो चुकी हू।

अतएव निवेदन है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुझे कार्यभार ग्रहण कराने की कृपा करें।

सादर!

दिनांक 04.09.2019

संलग्न :- उपरोक्त

भवदीय

(माधुरी रत्न भास्कर)
बैरागपारा, वडिनं.-13
मण्डरिया, जिला-कबीरधाम
(छ.ग.)

हस्ताक्षर
4.9.2019

प्रति,

प्राचार्य,

इंदिरा गांधी शा. महाविद्यालय पंजरिया

जिला कबीरधाम (क०ग०)



विषय :- कर्मिणी व्याख्याता (अंग्रेजी)
पुनः नियुक्त करने के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. आयादेश WPS NO. 3722 OF 2019 ।
 2. आसनादेश नं. 1446/243 / आयुशि / अ.व्या०
2019 का रायपुर अदालत नगर दिनांक 31/08/2019

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर
क०ग० के आयादेश पर रिट पीटिशन
संख्या WPS NO 3722 of 2019 के अनुसार
मेरी नियुक्ति यथावत रखी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आज दिनांक
के उक्त संदर्भित चत्रों के अनुसार महाविद्यालय
में कार्यभार प्रदान करते हुए अध्यापन कार्य
की अनुमति देने का कष्ट करें।

सह-यवाद

02/09/19

पार्थी (अ.व्या०)

गाम - शरद पट्टवैशी

विषय - (अंग्रेजी)

पता - ग्राम - डूही पो. गेड़व


खुर्द सह. पंजरिया जिला

कबीरधाम क०ग०

म० - 8085298153

4.8.2019

प्रति



आचार्य
इंडिरा शांती शासकिय महाविद्यालय
पण्डरिया जिला - कुशीरधाम ६०१०

विषय:- अतिथि व्याख्याता रसायन विषय के रूप में
पुनः नियुक्त करने के संबंध में।


- संदर्भ:-
1. आदेश WPS no 3500 of 2019
 2. शासनदेश क्र. 1446/243/आ3शि।अ.व्या।२०१९
नवा रायपुर अट्ठ नगर . दिनांक 31/08/2019

महोदय .

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ६०१० के
आदेश पर रिट पीटिशन संख्या WPS 3500 of 2019
के अनुसार मेरी नियुक्ति सच्चापत रखाई गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आज दिनांक
को उक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में
कार्यभार प्रदान करीं इस अध्यापन कार्य को
अनुमति देने का कष्ट करें।

व्यापक शाखा
[Signature]




[Signature]
24-9-2019

आचार्य Lather
लक्ष्मी अक्षर
अतिथि व्याख्याता

विषय :- रसायन
पता : पार्क रोड. ग्राम. अलीपुर
पो.अ. पण्डरिया. जिला. कुशीरधाम
मो. 7999910380

पति



प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पठरिया जिला - कुवर्धा (द.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र) विषय के रूप में पुनः नियुक्ति करने के संबंध में।

- संदर्भ - 1. न्यायादेश WPS no. 2962 of 2019
2. शासनादेश क्र. L496/293 / आउरि / अ. व्या. / 2019
तथा रायपुर अदालत नगर दिनांक 31/08/2019

भदोदय,

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द.ग. के न्यायादेश पर रिट पीटोरान संख्या WPS no. 2962 of 2019 के अनुसार मेरी नियुक्ति यथावत शरवी गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आज दिनांक को अंतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में कार्यभार प्रदान करते हुए अध्यापन कार्य की अनुमति देने का कष्ट करें।

सादर धन्यवाद

प्राथी

शौनल चन्द्रवंशी

विषय - वनस्पति शास्त्र

पता - कुवर्धा रोड, राँछ

पठरिया

मो. - 8839879933

हस्ताक्षर

4.9.2019

Smt. Sunita Thakur
Notary
Bilaspur (C. G.)



प्राचार्य,

इंदिरा गांधी शा. महाविद्यालय पंठरिया,
जिला कबीरधाम (छ.गं.)।

विषय- अतिथि व्याख्याता (गणित) पुनः नियुक्त करने
के संबंध में।

संदर्भ :- 1. न्यायादेश WPS no 5133 of 2019
2. शासनादेश क्र० 1446/243/आयुशि/अ.व्या./
2019 पता रायपुर अटल नगर दिनांक 31/08/2019

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.गं.
के न्यायादेश पर रिट पीलीशन संख्या WPS No.
5133 of 2019 के अनुसार मेरी नियुक्ति यथावत्
रखी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आज
दिनांक को उक्त संदर्भित फों के अनुसार
महाविद्यालय में कार्यभार प्रदान करते हुए
अध्यापन कार्य की अनुमति देने का कष्ट करें।

धन्यवाद

Bhumija
प्राथ

हस्ताक्षर
[Signature]

[Signature]
4.9.2019

नाम - भूमिजा चंद्राकर

विषय - गणित

पता - शा.व.पो. बोडतरा खुर्द
ल० पणरिया जि. कबीरधाम

Mo.No. - 6260409502

प्रति,

श्री मान प्रचार्य महोदय
इंदिरागाँधी शारकीय महाविद्यालय, पंजरिया
जिला - छबिरधाम (द.ग.)

विषय => जनभागीदारी अतिथी व्याख्याता विषय इतिहास
पद कार्यभार संभालने बाबत।
महोदय,

निवेदन है, कि मैं पिछुष देवांगन
पिता श्री शिवकुमार देवांगन विषय - इतिहास अतिथी व्याख्याता
जनभागीदारी दिनांक - 1/10/19 को चयन के आधार पर
कार्यभार संभालना चाहता हूँ, अतः श्रीमान से निवेदन
है, कि कार्यभार संभालने हेतु अनुमति प्रदान करें।

दिनांक - 1/10/19

नाम => पिछुष देवांगन
पता => महामाया चौक पंजरिया
मो. नं. => 89629-09495

Seen
[Signature]
1.10.2019

क्रमांक/380 /जन.अ.व्या/ 2019

पण्डरिया, दिनांक 30/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री प्रीतुष देवांगन
810 श्री विश्व कुमार देवांगन
महामाया चौक पण्डरिया

विषय :- विषय- उतिदास जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता के पद पर
आमंत्रण-पत्र बाबत।


—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 19.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता विषय उतिदास के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।


अतः आप दिनांक 01.10.2019 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित वाहन भत्ता अध्यापन व्यवस्था के लिए राशि 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) भुगतान की जावेगी। उक्त समिति के खाता में राशि नहीं होने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा, जब उस खाता में राशि आ जाएगी तब आपका भुगतान एकमुस्त कर दिया जाएगा।

- नोट- 1. शेष शर्तें जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित।
2. यह अध्यापन व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में नियमितकरण का अधार नहीं बनेगा।
3. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में यह व्यवस्था स्वयं में समाप्त मानी जावेगी।
4. आपकी सेवा 28.02.2020 को स्वयं में समाप्त हो जावेगी।


(डॉ. ए.सी. वर्मा)
प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)



क्रमांक/381 /जन.अ.व्या/ 2019

पण्डरिया, दिनांक 30/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

कु. सरिता पाते
डि० श्री जोदारी पाते
ग्राम खोन्नपुरी पण्डरिया

विषय :- विषय- समाप्त शीख जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता के पद पर
आमंत्रण-पत्र बाबत्।

—00—


विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 19.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता विषय समाप्त शीख के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 01.10.2019 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित वाहन भत्ता अध्यापन व्यवस्था के लिए राशि 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) भुगतान की जावेगी। उक्त समिति के खाता में राशि नही होने पर मानदेय का भुगतान नही किया जावेगा, जब उस खाता में राशि आ जाएगी तब आपका भुगतान एकमुस्त कर दिया जाएगा।

- नोट- 1. शेष शर्तें जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित।
2. यह अध्यापन व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में नियमितकरण का अधार नही बनेगा।
3. अध्यापन कार्य संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में यह व्यवस्था स्वयं में समाप्त मानी जावेगी।
4. आपकी सेवा 28.02.2020 को स्वयं में समाप्त हो जावेगी।

Received
S. Patre
01/10/2019


(डॉ. ए.सी. वर्मा)
प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

कार्यालय - प्राचार्य . इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पडरिया
जिला - कुर्बेरघाम (छ.ग.)

प्रति,

श्रीमान प्राचार्य महोदय
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पडरिया
जिला - कुर्बेरघाम (छ.ग.)

विषय : विषय समाजशास्त्र में जनभागीदारी में अतिथि व्याख्याता
पद पर कार्यभार संभालने हेतु.

महोदय,

निवेदन है कि मैं कुं सरिता पोत्रे में
जोहारी पोत्रे ग्राम सोनपुरी की निवासी हूँ. जनभागीदारी
में से अतिथि व्याख्याता विषय समाजशास्त्र
दिनांक 01/10/2019 के चयन के माध्यम पर
आध्यापन कार्य प्रारंभ करना चाहती हूँ
अतः श्रीमान से निवेदन है मुझे
आध्यापन कार्य करने का अनुमति देने की कृपार्थ।
धन्यवाद

दिनांक
01/10/2019

Seen
1.10.2019

Signature
प्राची

कुं सरिता पोत्रे
ग्राम सोनपुरी के. अ. कु. कु. कु. कु. कु.
तह. पडरिया जिला कुर्बेरघाम
(छ.ग.)

Mo. 7987052357